भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1533
उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान करना

†1533. **श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में, शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) यदि नहीं, तो शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान न करने के क्या कारण हैं;
(ग) क्या इन क्षेत्रों में विश्वसनीय आंकड़े जुटाने या शैक्षिक आवश्यकताओं का आकलन करने में कोई चुनौतियां हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार के पास पिछड़े जिलों की विशेष रूप से पहचान किए बिना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों में शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वैकल्पिक तरीके या रणनीतियां हैं;
(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(च) क्या भविष्य में ऐसी पहचान आरंभ करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और
(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (छ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) की पहचान की थी, जहां महिला ग्रामीण साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम थी। पूर्ववर्ती सर्व शिक्षा अभियान के तहत ईबीबी में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) को वंचित समूहों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय के रूप में स्वीकृत किया गया था।

तथापि, जनवरी 2018 में नीति आयोग द्वारा पिछड़े जिलों में शिक्षा सहित, सामाजिक परिणामों में सुधार के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत के साथ, सरकार के कार्यक्रम अब देश के आकांक्षी जिलों में अवसंरचना और अधिगम अंतराल को पूरा करने की दिशा में अग्रसर हैं। 26 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र में 112 आकांक्षी जिले हैं। आकांक्षी जिलों की राज्य-वार सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) को दिनांक 7 जनवरी, 2023 को मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया था। यह परिवर्तनकारी कार्यक्रम भारत के सबसे कठिन और अल्पविकसित ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शासन में सुधार लाने पर केंद्रित है, जिसके लिए मौजूदा योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा, परिणामों को परिभाषित किया जाएगा और निरंतर उनकी निगरानी की जाएगी।

नीति आयोग के चैंपियन ऑफ चेंज पोर्टल के माध्यम से आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के संबंध में, डेटा समय पर एकत्र किया जाता है। इसके अलावा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसई एंड एल) के पास स्कूलों के शिक्षा संकेतकों की निगरानी के लिए एक एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़+पोर्टल) भी है।

यह विभाग वर्ष 2018-19 से शुरू किए गए स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना अर्थात् समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से पूर्व-प्राथमिक से XIIवीं कक्षा तक सभी के लिए स्कूल शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच पर केंद्रित है। सरकार, समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजनाओं के माध्यम से, अन्य हस्तक्षेपों के साथ, शिक्षा में अवसंरचना, गुणवत्ता और समानता में सुधार के उद्देश्य से लक्षित उपायों के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को सुदृढ़ बनाने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहयोग करती है। इस योजना के तहत, आकांक्षी जिलों/ब्लॉकों पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ शिक्षण-अधिगम सामग्री और अधिगम परिणामों में सुधार के लिए डिजिटल पहल के साथ-साथ कक्षाओं, शौचालयों, पेयजल सुविधाओं, आईसीटी सुविधाओं और बाधामुक्त पहुंच जैसे स्कूल अवसंरचना के निर्माण और उन्नयन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, समग्र शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलापों के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाता है :

i. **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) :** समग्र शिक्षा के तहत, केजीबीवी का प्रावधान है जो वंचित समूहों जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की लड़कियों के लिए कक्षा VI से XII तक के आवासीय विद्यालय हैं। केजीबीवी शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में स्थापित किए जाते हैं। केजीबीवी की स्थापना के पीछे

उद्देश्य आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके वंचित समूहों की लड़कियों तक पहुँच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर जेंडर अंतराल को कम करना है। वर्तमान में, कुल 5269 केजीबीवी कार्यात्मक हैं, जिनमें 7,58,288 लड़कियों (1,77,009 एसटी लड़कियों और 2,06,297 एससी लड़कियों सहित) का नामांकन है।

i. **नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय (एनएससीबीएवी)-** समग्र शिक्षा एनएससीबीएवी नामक मध्यवर्तन के तहत आवासीय सुविधाओं के प्रावधान का समर्थन करती है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य लड़कियों, शहरी वंचित और अन्य वंचित बच्चों तक पहुंचना तथा दूरदराज के, कम आबादी वाले और दुर्गम क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों, एलडब्ल्यूई से प्रभावित क्षेत्रों, वनों, जलमार्गों, नदियों आदि जैसी प्राकृतिक बाधाओं वाले बड़े निर्जन क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा तक समान पहुंच बनाना है।

ii. **प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (**पीएम-जनमन**)** जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के घरों और बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं जैसे सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और मिशन मोड में स्थायी आजीविका के अवसरों से संतृप्त करना है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय अभियान में भाग लेने वाले मंत्रालयों में से एक है और पीएम-जनमन को समग्र शिक्षा योजना के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जा रहा है। अब तक की तिथि तक, पीएम-जनमन के तहत कुल 500 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं।

iii. **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए):** इसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों के 63,000 से अधिक जनजातीय बहुल गांवों और जनजातीय गांवों को विशिष्ट मध्यवर्तनों से संतृप्त करना है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसई और एल), शिक्षा मंत्रालय अभियान में भाग लेने वाले मंत्रालयों में से एक है और डीएजेजीयूए को इस विभाग की समग्र शिक्षा योजना के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जा रहा है। अब तक, डीओएसईएल ने डीए-जेजीयूए के तहत 692 छात्रावासों को स्वीकृति दी है।

iv. **आरटीई पात्रता –**

निःशुल्क यूनिफॉर्म का प्रावधान: समग्र शिक्षा के तहत सभी लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले बच्चों को प्रति वर्ष प्रति बच्चा 600 रुपये की औसत लागत पर दो सेट यूनिफॉर्म के लिए

सहायता प्रदान की जाती है, जहां भी राज्य सरकारों ने अपने राज्य में शिक्षा का अधिकार नियमावली में छात्र पात्रता के रूप में स्कूल यूनिफार्म के प्रावधान को शामिल किया है।

v. इसके अतिरिक्त, यह विभाग पर्याप्त स्कूल अवसंरचना (डिजिटल सहित), शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षक सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री), स्कूलों में मध्याह्न भोजन के माध्यम से पोषण प्रदान करने के लिए पीएम पोषण योजना (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण), राष्ट्रीय साधन सह मेरिट छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) - ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए मेरिट छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं भी लागू कर रहा है ताकि आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सभी छात्रों के अधिगम परिणामों में सुधार किया जा सके।

vi. इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एक केन्द्र प्रायोजित योजना **प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)** का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें तीन घटक नामतः आदर्श ग्राम, अनुदान सहायता और छात्रावास शामिल है। इसके 'छात्रावास' नामक एक घटक का उद्देश्य अनुसूचित जाति (एससी) विद्यार्थियों (लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग) के लिए नए छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान करना है। छात्रावासों का निर्माण कार्य संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है।

*****

अनुलग्नक I

शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान करने के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी, द्वारा दिनाँक 09.02.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1533 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

112 आकांक्षी जिलों की सूची

क्र. सं.	राज्य	जिला
1	आंध्र प्रदेश	अल्लूरी सीथारामराजू
2	आंध्र प्रदेश	पार्वतीपुरम मान्यम
3	आंध्र प्रदेश	वाई.एस.आर.
4	अरुणाचल प्रदेश	नामसाई
5	असम	गोलपाड़ा
6	असम	बारपेटा
7	असम	हैलाकांडी
8	असम	बक्सा
9	असम	दरांग
10	असम	उदलगुड़ी
11	असम	धुबरी
12	बिहार	सीतामढ़ी
13	बिहार	अररिया
14	बिहार	पूर्णिया
15	बिहार	कटिहार
16	बिहार	मुजफ्फरपुर
17	बिहार	बेगूसराय
18	बिहार	खगरिया
19	बिहार	बांका
20	बिहार	शेखपुरा
21	बिहार	औरंगाबाद
22	बिहार	गया
23	बिहार	नवादा
24	बिहार	जमुई
25	छत्तीसगढ	कोरबा
26	छत्तीसगढ	राजनंदगांव
27	छत्तीसगढ	महासमुंद

क्र. सं.	राज्य	जिला
28	छत्तीसगढ	कांकेर
29	छत्तीसगढ	नारायणपुर
30	छत्तीसगढ	दंतेवाड़ा
31	छत्तीसगढ	बीजापुर
32	छत्तीसगढ	बस्तर
33	छत्तीसगढ	कोंडागांव
34	छत्तीसगढ	सुकमा
35	गुजरात	दाहोद
36	गुजरात	नर्मदा
37	हरियाणा	मेवात
38	हिमाचल प्रदेश	चंबा
39	जम्मू एवं कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश	कुपवाड़ा
40	जम्मू एवं कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश	बारामूला
41	झारखंड	गढ़वा
42	झारखंड	चतरा
43	झारखंड	गिरिडीह
44	झारखंड	गोड्डा
45	झारखंड	साहिबगंज
46	झारखंड	पाकुर
47	झारखंड	बोकारो
48	झारखंड	लोहरदगा
49	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम
50	झारखंड	पलामू
51	झारखंड	लातेहार
52	झारखंड	हजारीबाग
53	झारखंड	रामगढ़
54	झारखंड	दुमका
55	झारखंड	रांची
56	झारखंड	खूंटी
57	झारखंड	गुमला
58	झारखंड	सिमडेगा
59	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम

क्र. सं.	राज्य	जिला
60	कर्नाटक	रायचूर
61	कर्नाटक	यादगीर
62	केरल	वायनाड
63	मध्य प्रदेश	छतरपुर
64	मध्य प्रदेश	दमोह
65	मध्य प्रदेश	बड़वानी
66	मध्य प्रदेश	राजगढ़
67	मध्य प्रदेश	विदिशा
68	मध्य प्रदेश	गुना
69	मध्य प्रदेश	सिंगरौली
70	मध्य प्रदेश	खंडवा
71	महाराष्ट्र	नंदुरबार
72	महाराष्ट्र	वाशिम
73	महाराष्ट्र	गडचिरोली
74	महाराष्ट्र	उस्मानाबाद
75	मणिपुर	चंदेल
76	मेघालय	रिभोई
77	मिजोरम	मामित
78	नागालैंड	किफायर
79	ओडिशा	ढेंकनाल
80	ओडिशा	गजपति
81	ओडिशा	कंधमाल
82	ओडिशा	बलांगीर
83	ओडिशा	कालाहांडी
84	ओडिशा	रायगढ़
85	ओडिशा	कोरापुट
86	ओडिशा	मल्कानगिरी
87	ओडिशा	नबरंगपुर
88	ओडिशा	नुआपाड़ा
89	पंजाब	मोगा
90	पंजाब	फिरोजपुर
91	राजस्थान	धौलपुर
92	राजस्थान	करौली
93	राजस्थान	जैसलमेर

क्र. सं.	राज्य	जिला
94	राजस्थान	सिरोही
95	राजस्थान	बारां
96	सिक्किम	सोरेंग
97	तमिलनाडु	विरुधुनगर
98	तमिलनाडु	रामनाथपुरम
99	तेलंगाना	आसिफाबाद
100	तेलंगाना	भूपालपल्ली
101	तेलंगाना	भद्राद्री-कोठागुडेम
102	त्रिपुरा	धलाई
103	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट
104	उत्तर प्रदेश	फ़तेहपुर
105	उत्तर प्रदेश	बहराईच
106	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती
107	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर
108	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर
109	उत्तर प्रदेश	चंदौली
110	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र
111	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर
112	उत्तराखंड	हरिद्वार